न्यायालय संभागीय आयुक्त, भरतपुर

अपील संख्याः— 5/18 (RCMS No. 2018/00005) (धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956)

1. अजमत खॉ पुत्र देवी खॉ जाति मुसलमान निवासी डवरा मण्डी सैंपऊ जिला धौलपुर
2. भूराशाह पुत्र गफूर खॉ
3. शमशू शाह पुत्र वसीर खॉ | जाति मुसलमान निवासी पुरानी तहसील के पास
4. अमर खॉ पुत्र पप्पू खॉ | सैंपऊ जिला धौलपुर

.....अपीलान्ट

बनाम

1. सूरजभान पुत्र मुरली जाति ब्राहमण निवासी सैपऊ तहसील सैपऊ जिला धौलपुर
2. घूरे लाल पुत्र वीधाराम जाति वैश्य निवासी सैपऊ जिला धौलपुर
3. तहसीलदार सैपऊ जिला धौलपुर

..... रैस्पो0

अपील विरूद्ध निर्णय उपखण्ड अधिकारी धौलपुर
दिनांक 10.03.2003

उपस्थितिः—

1. श्री दिनेश चन्द शर्मा वकील अपीलान्ट
2. श्री रामअवतार गौड़ वकील अपीलान्ट

नि र्ण य **दिनांकः—17.05.2018**

यह अपील भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी धौलपुर के निर्णय दिनांक 10.03.2003 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि रैस्पो0 ने अधीनस्थ न्यायालय में इस आशय का प्रार्थना पत्र धारा 188 सपठित 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम इस आशय का पेश किया था कि आराजी ख0 नं0 साबिक 1275 हाल ख0 नं0 3069/3413 रकवा 2 बीघा जो राजस्व रिकार्ड में कब्रिस्तान है। जिसकी चतुर्थ सीमाऐं इस प्रकार से है कि पूरव में सड़क बाड़ी सैंपऊ, पश्चिम में अहाता सिचाई विभाग, दक्षिण में आबादी व उत्तर में सैंपऊ बसेड़ी रोड़ है, पूरव में सैपऊ बाड़ी रोड़ के बाद आबादी है तथा प्रार्थीगण/रैस्पो0 के पुश्तैनी रिहायशी मकानात बने हुऐ हैं। बन्दोवस्त ने मौके के विपरीत नक्शा बना दिया है। जिसके कारण कब्रिस्तान के लोगों ने प्रार्थी/रैस्पो0 के विरूद्ध कई केस किये हैं, जिसमें न्यायालय सम्पदा अधिकारी वक्फ बोर्ड जयपुर ने दिनांक 06.08.2001 को निर्णय दिया है कि मौके पर राजस्व रिकार्ड के अनुसार 2 बीघा कब्रिस्तान है तथा प्रार्थीगण/रैस्पो0 ने कोई भी अनाधिकृत कब्जा नही किया है। तहसीलदार सैपऊ के निर्देशन में पैमाईस दल ने उक्त ख0 नं0 की पैमाइस की जिसमें कब्रिस्तान का 2 बीघा रकवा पूरा बैठा है। तहसीलदार धौलपुर के निर्णय दिनांक 06.02.80 के अनुसार भी

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

कब्रिस्तान का 2 बीघा रकवा मौके पर स्थित सड़क बाड़ी–सैंपऊ के पश्चिम में माना है। परन्तु तहसीलदार ने नक्शा दुरूस्ती का अधिकार उपखण्ड अधिकारी न्यायालय का मानकर दुरूस्ती नही की है। अतः मुताबिक मौका नक्शे में दुरूस्ती की जावे। अधीनस्थ न्यायालय ने तहसीलदार की मौका रिपोर्ट एवं सम्पदा अधिकारी (वक्फ) जयपुर के निर्णय के परिप्रेक्ष्य में राजस्व नक्शा में दुरूस्ती करने के आदेश पारित किये। इस आदेश के विरूद्ध यह अपील पेश की गई है।

रैस्पो0 को तलब किया गया। रैस्पो0 बाद तामील उपस्थित नही आये। अपीलान्ट की एकतरफा बहस सुनी गई।

विद्वान वकील अपीलान्ट का तर्क है कि रैस्पो0 संख्या 1 व 2 ने अधीनस्थ न्यायालय में रैस्पो0 संख्या 3 के विरूद्ध अपील पेश की है। उसमें अपीलान्ट जिनका कब्रिस्तान है तथा अन्य किसी भी कब्रिस्तान से संबंधित व्यक्ति को पक्षकार मुकदमा नही बनाया है। अपीलान्ट का कब्रिस्तान से भावनात्मक लगाव है तथा उनके हित आराजी मुतनाजा जो कब्रिस्तान की है उसमें निहित है। इसलिये धारा 96 सीपीसी के प्रार्थना पत्र के साथ अपील पेश की है। अपीलान्ट अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार मुकदमा नही था। इसलिये जानकारी की दिनांक से अपील अन्दर मियाद पेश की है तथा मियाद को कण्डोन करने के लिये धारा 5 कानून मियाद का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश किया है। अतः अपील पेश करने की स्वीकृति दी जावे तथा मियाद को कण्डोन किया जावे।

अपीलान्ट का तर्क है कि रैस्पो0 सं0 1 व 2 ने अपने प्रार्थना पत्र में कब्रिस्तान की भूमि को कहीं 2 विस्वा व कहीं 2 बीघा अंकित की है जबकि ख0 नं0 1275 रकवा 4 बीघा का है। अपीलान्ट ने साबिक ख0 नं0 1275 रकवा 4 बीघा से हाल ख0 नं0 3069/3413 रकवा 2 विस्वा अंकित किया है जबकि साबिक ख0 नं0 1275 रकवा 4 बीघा से अन्य नम्बरान भी बने है। उनका कोई विवरण नही दिया है तथा हाल नम्बर के आधार पर ही नक्शा तरमीम करने के आदेश दिये गये है। अधीनस्थ न्यायालय ने साबिक व हाल नक्शा का मिलान नही करते हुऐ महज रैस्पो0 संख्या 3 तहसीलदार सैंपऊ की पैमाइस रिपार्ट के आधार पर ही आदेश पारित किया है। उनका तर्क है कि अपीलान्ट ने अपील के साथ मुस्लिम वक्फ्स बोर्ड जयपुर ''नमूना नक्शा जिसमें वक्फ सम्बन्धी जानकारी दर्ज की जायेगी'' पेश किया है जिसमें विवादित आराजी साविक ख0 नं0 1275 रकवा 4 बीघा गैर मुमकिन कब्रिस्तान माना है। राजस्थान बोर्ड आफ मुस्लिम वक्फ्स जयपुर ने जिला कलक्टर धौलपुर को पत्रांक 3416 दिनांक 16.04.93 लिखा है, जिसमें उन्होंने वक्फ सम्पति कब्रिस्तान के ख0 नं0 1275 रकवा 4 बीघा की निशान देही व पैमाइश के लिये पत्र लिखा है। इस पत्र की प्रति भी अपील के साथ पेश की है। उक्त दस्तावेजों से यह स्पष्ट है कि विवादित आराजी ख0 नं0 1275 रकवा 4 बीघा कब्रिस्तान है। जिसके बन्दोवस्त ने कई खसरा नम्बर बनाये हैं परन्तु तहसीलदार ने एक ख0 नं0 बताकर रिपोर्ट की है जिसके आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय पारित किया है। उक्त निर्णय विधि सम्मत् नही है। उनका तर्क है कि तहसीलदार सैंपऊ ने अधीनस्थ न्यायालय के आधार पर नक्शे में तरमीम कर दी है जो गलत है जबकि आराजी ख0 नं0 1275 रकवा 4 बीघा का है इसलिये 4 बीघा पर ही कब्रिस्तान दर्ज किया जावे। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 10.03.2003 निरस्त किया जावे।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

हमने विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलान्ट का तर्क है कि विवादित आराजी कब्रिस्तान है। कब्रिस्तान से संबंधित व्यक्तियों को पक्षकार नही बनाया है। अपीलान्ट उक्त आदेश से व्यथित हैं। हम अपीलान्ट के इस तर्क से सहमत हैं। अतः अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत धारा 96 सीपीसी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपीलान्ट को अपील पेश करने की इजाजत दी जाती है। चूँकि अपीलान्ट अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार मुकदमा नही थे। विवादित आराजी कब्रिस्तान होने से अपीलान्ट के हित निहित हैं। उन्हें अपीलाधीन निर्णय की जानकारी नही थी। अपीलान्ट ने जानकारी की दिनांक से अपील पेश की है तथा धारा 5 कानून मियाद का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश किया है। ऐसी स्थिति में अपील पेश करने में हुई देरी को कण्डोन करते हुऐ अपीलान्ट की अपील को मियाद में शुमार किया जाता है।

अधीनस्थ न्यायालय को विवादित आराजी कब्रिस्तान होने से संबंधित को पक्षकार बनाकर सुनवाई का अवसर दिया जाना चाहिये था। विवादित आराजी के संबंध में विद्वान वकील अपीलान्ट का कथन है कि विवादित आराजी ख0 नं0 1275 रकवा 4 बीघा का है। अपीलान्ट ने साबिक ख0 नं0 1275 रकवा 4 बीघा से हाल ख0 नं0 3069/3413 रकवा 2 बीधा अंकित किया है। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। अपील पत्रावली में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज मुख्य कार्यकारी अधिकारी राजस्थान बोर्ड आफ मुस्लिम वक्फस् जयपुर के ''नमूना नक्शा जिसमें वक्फ सम्बन्धी जानकारी दर्ज की जायेगी'' आदेश में ख0 नं0 1275 रकवा 4 बीघा का कब्रिस्तान बताया है। इसके अलावा अपीलान्ट ने राजस्थान बोर्ड आफ मुस्लिम वक्फस् जलेवी चौक जयपुर के पत्रांक 3416 दिनांक 16.04.93 पेश किया है उक्त पत्र से जाहिर है कि गत ख0 नं0 1275 रकवा 4 बीघा का है। साबिक ख0 नं0 1275 रकवा 4 बीघा से अन्य नम्बरान भी बने होंगे। परन्तु पत्रावली में ऐसा कोई रिकार्ड उपलब्ध नही है। अधीनस्थ न्यायालय ने साबिक व हाल नक्शा का मिलान नही करते हुऐ केवल तहसीलदार सैंपऊ की पैमाइस रिपार्ट के आधार पर ही आदेश पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने गत राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किये बिना ही हाल ख0 नं0 को 2 बीघा मानकर निर्णय पारित किया है जबकि गत ख0 नं0 1275 रकवा 4 बीघा का है। राजस्व रिकार्ड में गत ख0 नं0 1275 रकवा 4 बीघा से बने हाल खसरा नम्बरान पर कब्रिस्तान का नाम दर्ज किया जाना चाहिये। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत् नही होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 10.03.2003 निरस्त किया जाता है। उक्त निर्णय के आधार पर की गई नक्शे में तरमीम को निरस्त किया जाता है। तहसीलदार सैंपऊ को आदेश दिये जाते हैं कि साबिक ख0 नं0 1275 रकवा 4 बीघा वॉके ग्राम सैपऊ जिला धौलपुर से बने हाल खसरा नम्बरान पर कब्रिस्तान का नाम दर्ज किया जाकर नक्शे में तरमीम की जावे।

निर्णय आज दिनांक 17.05.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुबीर कुमार)
संभागीय आयुक्त
भरतपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official